कार्यालय भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रूद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

पत्रांकः 79 /जि0टा0फो0/मोटर मार्ग/2016–17, दिनांक 16 अप्रैल 2016

विषयः माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 742/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे सिमली–बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण हेतु मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 314/1 सी0, दिनांक 28.01.2016, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त समरेखण स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर सर्वेक्षण आख्या सुलभ संदर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक : /जि0टा0फो0/मोटर मार्ग/2016–17 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : 1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

Scanned with CamScanner

नि0आ0सं0–13/जि0टा0फो0 च0/रू0/मोटर मार्ग/2016–17

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 742/2015 के अन्तर्गत, जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे सिमली–बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण हेतु मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग के पत्रांक 314/1 सी0, दिनांक 28.01.2016, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 742/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे सिमली–बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण हेतु मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री मकान लाल, कनिष्ट अभियन्ता व श्री देवेन्द्र प्रसाद, मार्ग अभिकर्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग की उपस्थिति मे उपरोक्त स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है :–

प्रश्नगत मोटर मार्ग समरेखण सिमली–गैरसैंण मोटर मार्ग के मध्य से बाईफरकेशन सिमली–बैनीताल मोटर मार्ग के अन्त से आगे बैनीताल से जंगलचट्टी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसकी वर्तमान समय मे कुल लम्बाई 10.125 कि0मी0 प्रस्तावित है जो कि स्थलीय सर्वेक्षण के दौरान उपस्थित विभागीय कनिष्ट अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया। उक्त समरेखण के निर्माण हेतु मोटर मार्ग के मध्य मे लगभग 10 हेयरपिन बैण्ड्स का प्राविधान किया गया है जो कि उत्तर, उत्तरपूरब व दक्षिणपश्चिम फेसिंग के पहाड़ी ढाल पर निर्माण हेतु प्रस्तावित है। उक्त समरेखण मे स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल लगभग 10^0–45^0 के मध्य अवस्थित है जिसमें कतिपय स्थलों पर पहाड़ी ढाल इससे अधिक व कम तीव्रता के साथ विद्यमान है। समरेखण का अधिकांश भूभाग वन भूमि के मध्य से होकर गुजर रहा है तथा कतिपय तीव्रतर पहाड़ी ढालों पर स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का अभाव पाया गया। उक्त समरेखण के दो हेयरपिन बैण्ड्स दक्षिणपश्चिम फेसिंग के पहाड़ी ढाल पर प्रस्तावित हैं जिसमें निचले स्थलों पर कतिपय ग्रामीणों के आवासीय भवन आदि विद्यमान हैं। अतः मोटर मार्ग कटाव के मलवा निचले पहाड़ी ढालों पर निक्षेपित न किया जाय।

उक्त समरेखण लेसर हिमालय के अन्तर्गत वर्गीकृत की गयी चट्टानों के मध्य अवस्थित है जिसमें समरेखण के मध्य क्वार्टजिटिक, शिष्टोज क्वार्टजिटिक, बेसिक प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं। समरेखण के प्रारम्भ मे पहाड़ी ढाल पर मृदा का गहरा आवरण पाया गया जिसमें कटाव के साथ ही सुरक्षा धारक दीवारों का निर्माण कार्य किया जाय जिससे वर्षाकाल के दौरान होने वाले मृदा अपरदन की सम्भावना को न्यून/कम किया जा सके।

समरेखण के लगभग अन्त/दक्षिणपश्चिम में पहाड़ी ढाल, तीव्रता के साथ अवस्थित है जिसमें चट्टानों मे ज्वाइंट ऑपनिंग विद्यमान है। अतः रोड़ कटाव मे विस्फोटकों का प्रयोग परमिसिविल सीमा तक किया जाय जिससे चट्टानों मे व्याप्त दरारों के आकार मे वृद्वि न हो सके तथा मोटर मार्ग को स्थायित्व प्रदान हो सके।

Scanned with CamScanner

उक्त स्थल पर मोटर मार्ग निर्माण से पूर्व निम्नलिखित सुझाव एवं शर्तों का पालन किया जाय :

1. समरेखण स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम–1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् कुछ क्षेत्रों के अपस्लोप का एंगिल ऑफ रिपोज परिवर्तित होने से भूधसांव/भूस्खलन क्षेत्र विकसित हो सकते हैं। अतः भूधसांव क्षेत्र को अद्यतन नवावेकासित सिविल भूअभियांत्रिकी द्वारा ट्रीट/सुरक्षित किया जाय।

3. चूंकि स्थल सक्रिय भूकम्पीय जोन मे अवस्थित है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पन्नों से स्थलों के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नही जा सकता है।

4. मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् समरेखण को शीघ्र पक्का कर सतही जल प्रवाह/अधोभूमि जल रिसाव को अन्दरूनी पहाड़ी ढाल की दिशा मे पक्की ड्रेनेज नालियों द्वारा नियन्त्रित कर सतही जल प्रवाह को सुरक्षित स्थल/नालों मे छोड़ा जाय।

5. पूर्व ओरवलोडेड व मोटर कटाव से निर्मित तीव्र मलवा ढालों को टो सपोर्ट शीघ्र दिया जाय ताकि वर्षाकाल मे मड/मृदा/मलवा, समीप की आबादी व कृषियुक्त भूमि को असुरक्षित न करे।

6. मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर जहाँ आवश्यक हो समुचित पौधों का रोपण किया जाय जिससे ढलानों पर वर्षाकाल मे भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके।

7. समरेखण स्थल को मोटर मार्ग हेतु विकसित करने के लिए अर्द्ध कटाव अर्द्ध भराव का सिद्धान्त अधिक उपयुक्त होगा।

8. पर्वतीय क्षेत्र मे मोटर मार्ग निर्माण के लिए प्रस्तावित सिविल भूअभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।

9. समरेखण में बनाये जाने वाली सुरक्षा धारक दीवारों/टो वाल, रिटेनिंग व ब्रेस्टवालों का निर्माण (वीप होल्स सहित व स्क्रीनिंग मटिरियल के साथ) आवश्यकतानुसार किया जाय।

10. उक्त मोटर मार्ग समरेखण के निर्माण के दौरान उत्सर्जित मटिरियल को पहाड़ी ढालों पर न फैलाकर सुरक्षित स्थल पर निक्षेपित किया जाय जिससे वर्षाकाल के दौरान मड/डेबरी फ्लो की सम्भावना को न्यून किया जा सके।

11. उक्त समरेखण मे अपस्लोप से होने वाले अधोभूमि जल रिसाव को नियंत्रित करने के लिए नालियों का निर्माण किया जाय।

Scanned with CamScanner

12. उक्त मोटर मार्ग समरेखण के मध्य उत्तरपूरब फेसिंग के पहाड़ी ढालों पर निर्माण हेतु प्रस्तावित हेयरपिन बैण्ड्स की संख्या को न्यून करने के लिए आर्म की लम्बाई मे वृद्वि की जाय जिससे हेयरपिन बैण्ड्स की संख्या मे की आ सके।

13. कन्सॉलिडेटेड मृदा/मलवायुक्त भूभागों मे मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् शीघ्र पक्की टो सपोर्ट व मजबूत रिटेनिंग/ब्रेसवाल (वीप हॉल व स्क्रीनिंग मटिरियलयुक्त) का निर्माण किया जाय जिससे स्थल को पुनः सुरक्षित एंगिल ऑफ रिपोज प्राप्त हो सके।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त सुझाव व शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर समरेखण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों मे मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।

(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक

Scanned with CamScanner